

(१)

प्राप्तिकाल

श्रीकृष्ण अनुभव

राजस्थान छत्तीसगढ़
प्रशासन, कुमार विभाग
(कुमार - ५)

वारा :-

राज्य ने नियोजित संसदीय एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियोजित के बोले वे उत्तराखण्ड कार्य करने पर राज्य सरकार ने उत्तराखण्ड कार्य करने के लिए नियोजित राज्यीय व्यापारिक नियोजित संसद कल चारों तिन के गठन की प्रक्रियात महोदय को कुरुक्षेत्र प्रदान करते हैं : -

१ - शासन सचिव, उत्तराखण्ड, राजस्थान, कामुक	कामुक
२ - प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान, उत्तराखण्ड, कामुक	कामुक
३ - एकुक्त प्रशासनिक, उत्तराखण्ड प्रशासन, कामुक	कामुक
४ - भाजन अधिक, राजस्थान वैभव वाक एवं उपचार, कामुक	कामुक
५ - वैदिक प्रबन्धक, ऐम व ज्येष्ठा नियामी उत्तराखण्ड, कामुक	कामुक
६ - वैदिक प्रबन्धक, एमेंट नियामी उत्तराखण्ड, कामुक	कामुक
७ - अध्यक्ष, केवरेज वाक राजस्थान, एवं प्रोटोकॉल, कामुक	कामुक
८ - नियोजक, उत्तराखण्ड, राजस्थान, कामुक।	उत्तराखण्ड संघीय

उपर दर्शन संविधि, राज्य संसदीय नियामी उत्तराखण्ड प्रदान के अन्तर्गत राज्य प्रस्तावों की भी इनका कर उत्तराखण्ड के नियामी अधिकारी प्रतिष्ठान के कल एवं कार्य करेगी।

इन प्राप्तिकाल में वर्षे में कम से कम दो बार नेत्रिका होती है। इन दिनों वे नाम ने लेंगे गोप घट्टारी घट्टारी घट्टारी जीवों को दिल्ली ग्राम एवं नलिया देख नहीं होता। अब संभिति एवं प्रताधिकारी नियामी उत्तराखण्ड (कुमार-५) विभाग उत्तराखण्ड।

लाला द्व.

२०१२-२०१३-२०१४

कामुक उपराखण्ड संघीय

प्रतिष्ठित नियामी उत्तराखण्ड एवं व्यापारिक उत्तराखण्ड ले प्रतिष्ठान है :-

- १ - सांख्य, राज्यपाल वर्षों, राजस्थान, कामुक।
- २ - संचिव, पुस्तक संस्कृति, राजस्थान, कामुक।
- ३ - नियामी उत्तराखण्ड, उत्तराखण्ड विभाग, राजस्थान, कामुक।
- ४ - उत्तराखण्ड संस्कृति, प्रशासनिक विभाग (उत्तराखण्ड, कुमार-५ के राज्यपाल है)।
- ५ - नियोजक, उत्तराखण्ड कल उत्तराखण्ड विभाग, राजस्थान, कामुक।
- ६ - विद्युत उत्तराखण्ड विभाग, उत्तराखण्ड विभाग, राजस्थान, कामुक।
- ७ - उत्तराखण्ड प्रशासन। (२०१२-२०१३-२०१४-२०१५ तक)

कुमार-५

नोट :- कल संभिति एवं प्रतिष्ठित उत्तराखण्ड एवं उत्तराखण्ड (कुमार-५) विभाग है जो कहे।

भीम उत्तराखण्ड

क्रमांक नं. 2011/14340/1/ 91 राठौरा वेद्यता, दिनांक: 31. 9. 2011

- प्राचीनतम् विद्यालयों को तुमनार्थ एवं प्राचीनतम् विद्यालयों के बीच विभिन्न दिनांक ११-१२।
१। सचिव, राजस्थान मठोटक, राजस्थान, जबलुर।
२। सचिव, मुख्यमंत्री मठोटक, राजस्थान, जबलुर।
३। विद्यालयिक सचिव, मठोटक, राजस्थान, जबलुर।
४। विद्यालय, तुमना एवं जन गांगा विद्यालय, राजस्थान, जबलुर।
५। विद्यालयिक सचिव, उधोग राजस्थान राज्य, जबलुर।
६। पुस्तक विद्यालय, राज्य, जबलुर उधोग विद्यालय, जबलुर।
७। तुमना गांगा विद्यालय, विद्यालय आदार भारत राजस्थान, जबलुर।
८। माननी विद्यालय, राजस्थान विद्यालय आदार फालती राज्य इंडिया, जबलुर।
९। शिविष पुस्तकालय, जैन एवं जैनाती विद्यालय विविष परिषद, जबलुर।
१०। विद्यालय पुस्तकालय, अवैतन विद्यालय विविष परिषद, जबलुर।
११। जनस्थान एवं राजस्थान विद्यालय टीरत, जबलुर।
१२। विद्यालय, उधोग विद्यालय, राज्य, जबलुर।

उपर्युक्त विविष विद्यालयों का विवरण।

आरक्ष ३१८

1. राजस्थान निर्यात पुरस्कार योजना

राज्य में प्रति वर्ष लगभग 32500 करोड़ रुपये का निर्यात हो रहा है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा राज्य में निर्यात उत्पादन को बढ़ाए जाने के उद्देश्य के लिए आधारभूत सुविधाओं को विकासित करने हेतु असाइंड योजना लागू की गई है। योजना के अन्तर्गत रोड नेट बर्किंग विशेष निर्यात औद्योगिक फ्रेंट्रों का विकास किया जा रहा है। निर्यातकों का ऊर अधिक ननोबल बढ़ाये जाने एवं निर्यातकों का पहचान पुरस्कार निर्यात परकोशमेत्ता एवं अन्य नापदम्बों एवं उत्पादक निर्यातक एवं मर्चेन्ट निर्यातकों का अलग-अलग घटन कर प्रस्तावित दर्गांकरण के आधार पर पुरस्कृत किया जायेगा।

2. निर्यात पुरस्कार निर्धारण का आधार

पुरस्कार दिये जाने हेतु नुखता पिछले वित्तीय वर्ष में किये गये निर्यात के गूल्हे को आधार बनाया जायेगा, किन्तु निम्नलिखित बिन्दुओं पर भी अच्छे निर्यातकों को पुरस्कृत किया जावेगा :-

1. गत दो वर्षों में निर्यात बढ़ि।
2. निर्यात हेतु नये बाजारों की खोज।
3. नई वस्तुओं का निर्यात।
4. निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के निर्माण में स्थानीय घटना का सहुपयोग।

3. कार्य विधि

उपरोक्त पुरस्कार हेतु सर्वप्रथम राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। आवेदक निर्यातक इकाई अपनी आवेदन विला उच्चोग केन्द्रों अथवा सुरक्षालय में प्रस्तुत करेगा।

4. पुरस्कार वितरण

(अ) निर्यात पुरस्कार निम्नलिखित वस्तुओं अथवा वस्तु समूहों के लिए अलग-अलग दिया जायेगा तथा इन वस्तुओं/वस्तु समूहों को निर्माता निर्यातकों को पुरस्कृत किया जायेगा:-

1. इंजीनियरिंग एवं कंप्यूटर हार्डवेयर	- 2 पुरस्कार
2. प्रिसियस एवं सेमीफ्रीसियस स्टोन्स	- 2 पुरस्कार
3. गोल्ड/सिल्वर/प्लॉटीनम फैलरी	- 2 पुरस्कार
4. दरी व गलीचा तथा फैन आर्टिस्ट	- 2 पुरस्कार
5. सिले सिलारे वस्त्र (रिहाइम गारमेंट्स)	- 2 पुरस्कार
6. खनिज आगारित खत्याद	- 2 पुरस्कार
7. कृषि आगारित खाद्य प्रसंस्करण	- 2 पुरस्कार
8. हेप्टीकाफ्ट (इरतकला वस्तुएं)	- 2 पुरस्कार
9. टेक्सटाइल	- 2 पुरस्कार
10. इलेक्ट्रोनिक्स	- 2 पुरस्कार
11. कैमिकल्स, कार्बोस्ट्रूटिकल्स एवं अलाइड प्रोडक्ट्स	- 2 पुरस्कार
12. विलिंग वर्ग	- 2 पुरस्कार

13.	काउण्टर सेल टू फौरिन ट्रायरिस्ट	- 1 पुरस्कार
14.	कम्प्यूटर नॉफ्टवेयर / KPO/BPO एवं अन्य सेवायें	- 2 पुरस्कार
15.	मेटल	- 1 पुरस्कार
16.	लेनदर एवं नौन लेनदर फुटवियर एवं अन्य उत्पाद	- 2 पुरस्कार
17.	मेड-अप्स	- 1 पुरस्कार

(७) प्रत्येक वर्ष दो महिला नियोतकों उत्पादक नियोतक/व्यापारी नियोतक को पुरस्कृत किया जायेगा।

(८) प्रत्येक वर्ष व्यापारी नियोतकों को भी पुरस्कृत किया जायेगा।

(९) किसी एक वर्ष में पुरस्कार प्राप्तकर्ता को आगामी दो वर्षों के लिए पुरस्कार हेतु पात्र नहीं माना जायेगा।

(१०) किसी वर्ष में मिर्चा नियोतक अभ्यन्तर व्यापारिक नियोतक उपलब्ध नहीं होने की दशा में स्थिति अनुसार दोनों पुरस्कार व्यापारिक नियोतकों को दिये जायेंगे।

(११) किसी वर्ष में आवेदन—पत्र प्राप्त नहीं होने अथवा आवेदकों के अपात्र होने की स्थिति में चयन कमेटी को यह भी अधिकार होगा कि उस वर्ष के पुरस्कार अन्य वर्गों की इकाइयों को जितमें ज्यादा आवेदक हों, उन्हें पुरस्कृत कर सकती है।

5. पुरस्कारों हेतु चयन समिति

उपरोक्त पुरस्कार हेतु एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें उद्योग आयुक्त, राजस्थान लघु उद्योग निगम, दैम्बर औफ़ कामसे एप्ल इंडस्ट्री, व्यापारी संघों के प्रतिनिधि, औद्योगिक चयनित नियोतकों को ही पुरस्कार दिया जायेगा। कमेटी हासा समारोह की तिथि समारोह के आयोजन संबंधी कार्यवाही की जायेगी। कमेटी की अव्यक्ति शासन सचिव, उद्योग हासा की जायेगी।

6. पुरस्कार

प्रत्येक वर्ष/वस्तु समूह के लिये नियोतकों को अलग-अलग पुरस्कृत किया जायेगा। लगभग 35 पुरस्कार प्रति वर्ष दिये जायेंगे। पुरस्कार हेतु प्रमाण-पत्र सूति छिन्ह दिया जायेगा।

7. योजना की कियान्वित आयुक्त, उद्योग विभाग हासा की जायेगी। योजना के नियमों में संशोधन एवं प्रशासनिक आवेदन उद्योग (युप-2) विभाग, राजस्थान सरकार हासा जारी किया जायेगा।

मापदण्ड

क्र. सं	विवरण	अधिकातम अंक	अंकों का विवरण	कुल अंक
1.	2.	3.	4.	5.
	1. धर्ष में किया गया नियोति	40	1 करोड़ रु० से 5 करोड़ रु० तक 5 करोड़ रु० से 15 करोड़ रु० तक 15 करोड़ रु० से 30 करोड़ रु० तक 30 करोड़ रु० से 50 करोड़ रु० तक 50 करोड़ रु० से 75 करोड़ रु० तक 75 करोड़ रु० से 100 करोड़ रु० तक 100 करोड़ रु० से 150 करोड़ रुपये तक 150 करोड़ रु० से अधिक	5 अंक 10 अंक 15 अंक 20 अंक 25 अंक 30 अंक 35 अंक 40 अंक
	2. नियोत पुरस्कार धर्ष में पिछले वर्ष के मुकाबले वृद्धि पर।	10	25% तक वृद्धि होने पर 25 %से अधिक व 50%तक वृद्धि होने पर 50 %से अधिक व 75%तक वृद्धि होने पर 75 %से अधिक व 100 %तक वृद्धि होने पर 100 %से अधिक वृद्धि होने पर	2 अंक 4 अंक 6 अंक 8 अंक 10 अंक
	3. नियोत पुरस्कार के पिछले वर्ष में उससे पहले के धर्ष के मुकाबले वृद्धि पर	10	25% तक वृद्धि होने पर 25 %से अधिक व 50%तक वृद्धि होने पर 50 %से अधिक व 75%तक वृद्धि होने पर 75 %से अधिक व 100 %तक वृद्धि होने पर 100 %से अधिक वृद्धि होने पर	2 अंक 4 अंक 6 अंक 8 अंक 10 अंक
	4. नये बाजारों की खोज	10	5 %तक का नियोत नये बाजारों में किये जाने पर 5 %से अधिक व 10 %से कम 10 %से अधिक व 20 %से कम 20 %से अधिक व 40 %से कम 40 %से अधिक व 60 %से कम	1 अंक 2 अंक 4 अंक 6 अंक 8 अंक

			60 % से अधिक होने पर	10 अंक
5.	नये उत्पादों का निर्यात	8	कुल निर्यात के 10 % तक निर्यात नये उत्पादों का किये जाने पर	2 अंक
			10 % से अधिक व 25 % तक होने पर	4 अंक
			25 % से अधिक होने पर	8 अंक
6.	स्थानीय दक्षता का उपयोग	8	25 % तक स्थानीय रोजगार होने पर	2 अंक
			25% से अधिक 50% तक होने पर	4 अंक
			50% से अधिक 75 % तक होने पर	6 अंक
			75% से अधिक होने पर	8 अंक
7.	स्थानीय कुशल एवं अकुशल अमिको को उपलब्ध कराया गया रोजगार।			
	(अ) रोजगार के पद में वैतन भत्तों पर व्यय की गई राशि	2	संघर्ग में प्राप्त अधिकतम व्यय करने वाली इकाई से संबंधित एवं हेतु इवाइयों को समानुपातिक अंक प्रदान किये जायेंगे।	2 अंक
	(ब) कमेंटारी भविष्य नियंत्रित अमिक वीमा योजना, विकास पुनर्भरण पर	2	अमिको को उक्त योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई राशि यथा—20 लाख रुपये के व्यय पर कम होने की स्थिति में समानुपातिक लाप से अंक प्रदान किये जायेंगे।	2 अंक
8.	रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट	4	रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट पर कुल पूँजीगत 5% राफ	1 अंक
			रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट पर कुल व्यय का 5 % से अधिक तथा 10% तक	2 अंक
			10% से अधिक व 15 % तक होने पर	3 अंक
			15 % से अधिक होने पर	4 अंक
9.	राष्ट्रीय सत्र का प्रमाण पत्र	2		2 अंक
10.	इको फेडली environment के लिए किये गये बार्य	2		2 अंक
11.	अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसंधान प्रमाणन या इनोवेटिव कार्य	2		2 अंक
	कुल	100		100 अंक